

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राजेश शर्मा पुत्र श्री भौरे लाल शर्मा ग्राम व पोस्ट कारोली तहसील व जिला अलवर (राज.) पिन
301028 - अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली - प्रत्यर्थी
अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक-22.09.2020

1. पंचायत आम चुनाव 2020 की तैयारी में व्यस्तता के कारण अपील का निस्तारण किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 31.08.2020, 07.09.2020, 14.09.2020, 21.09.2020 व 22.09.2020 को बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर बबलीराम जाट तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली में पदस्थापन के दौरान उच्च अधिकारियों एवं कार्मिकों के साथ किये गये झगड़े एवं दुर्यवहार के संबंध में दर्ज एफ.आई.आर. एवं उस पर हुई कार्यवाही आदि की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक-706 दिनांक 20.08.2020 द्वारा अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को पत्रांक 594 दिनांक 02.07.2020 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अंत में अपील, अपीलाण्ट को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
7. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा उनके विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है एवं सूचना प्रेषित कर दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली